संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश मध्य प्रदेश

"कचनार" ई-5 पर्यावरण परिसर अरेरा कालोनी, हबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल-462016
ई-मेल-mptownplan@mp.gov.in, दूरभाष-0755-2427096

सूचना

भोपाल, दिनांक:- 15/11/2019

क्रमांक 1823 /टीसी/ 496 / वियो / उपां / नग्रानि /2018 - मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक-23 सन् 1973) की धारा 23-क की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन एतद् द्वारा सार्वजनिक जानकारी हेतु यह अधिसूचित किया जाता है कि संचालक, नीचे दी गई अनुसूची में यथानिर्दिष्ट चाकघाट विकास योजना 2021 में उपान्तरण प्रस्तावित करता है।

अनुसूची

क्र.	विकास योजना में निर्दिष्ट प्रावधान	प्रस्तावित प्रावधान
(1)	(2)	(3)
1.	**अध्याय– 6 कंडिका 6.6** **वन आवास (फार्म हाउस) :–** निवेश क्षेत्र में फार्म हाउस के मानक मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 17 अनुसार मान्य होंगे।	**अध्याय– 6 कंडिका** **6.10 छविगृहों के मापदण्ड** छविगृहों के मापदण्ड मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 53(3)(दो) के अनुरूप मान्य होंगे।

प्रस्तावित उपान्तरण के ब्यौरे, सूचना प्रकाशन की तिथि से 15 दिन की समयावधि के लिये आम जनता को निरीक्षण के लिये संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय रीवा तथा वेबसाईट www.mptownplan.gov.in पर भी उपलब्ध होंगे।

प्रस्तावित उपान्तरण के संबंध में यदि किसी व्यक्ति के कोई आपत्ति/सुझाव हो तो, वह संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, म.प्र. भोपाल अथवा संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, रीवा को दैनिक समाचार पत्रों में इस सूचना प्रकाशन होने की दिनांक से 15 दिन के भीतर लिखित में प्रस्तुत कर सकेगा एवं ऐसी आपत्तियाँ या सुझाव, जो उपर विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान होने से पूर्व प्राप्त हो, पर संचालक द्वारा विचार किया जाएगा।

15/11

(स्वतंत्र कुमार सिंह)
संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश,
म.प्र. भोपाल

Scanned by CamScanner